रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082024-255974
CG-DL-E-01082024-255974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]	नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946
No. 426]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 465(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, आशुलिपिक (समूह–'ग') पद भर्ती नियम, 2002 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी–II के पद से संबंधित है; और रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला वृत्तिक व्यवसाय के सिवाय), आशुलिपिक श्रेणी–I (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2003 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, महिला प्रशिक्षण के सिवाय आशुलिपिक श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण के सिवाय), आशुलिपिक श्रेणी-I (समूह-'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3 .पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4 .भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5 .निरर्हता–वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 .शिथिल करने की शक्ति–जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 .व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक	38*(2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोनत्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती की पद्दती :सीधे होगी, भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्दतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियो के लिए दो वर्ष।	1. पैंसठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और 2. पैंतीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नतिः आशुलिपिक ग्रेड-11 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्य-क्षेत्र में दो से चार सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण किए हुए ऐसे अधिकारी; **(क)** **(i)** जिनहोने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हो ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और **(ख)** जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो; (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से12 वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) कौशल परीक्षण मानदंड श्रुतलेखः 10मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर। प्रतिलेखनः 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिंदी) (मैनुअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर) **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग से इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति)प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगेः 1. महानिदेशक (प्रशिक्षण) : अध्यक्ष; 2. निदेशक, केंद्रीय फील्ड संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय : सदस्य; 3. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय : सदस्य; 4. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) प्रशिक्षण महानिदेशालय : सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति)पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक (प्रशिक्षण) : अध्यक्ष; 2. निदेशक, केंद्रीय फील्ड संस्थान सदस्य; प्रशिक्षण महानिदेशालय : 3. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) सदस्य; कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय : 4. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) सदस्य; 5. प्रशिक्षण महानिदेशालय :	

[सं. डीजीटी-ए-12018/6/2019-टीए-I (ई-26882)]

ईश्वर सिंह, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training Stenographers (Group - 'C') Posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II ; and the Directorate General of Employment and Training, Directorate of Training (except Women Occupational Training), Stenographer Grade I (Group B) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Directorate General of Training (except Women Training), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training (except Women Training) Stenographer Grade – I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(**2**) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay of matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4 Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.-No person shall be eligible for appointment to the said post:

Shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and

the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer Grade I.	38*(2024) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, If any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	(i). Sixty-five per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii). Thirty-five per cent. by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: Stenographers Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training duration in area of work related to duties and responsibilities of the post. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post of stenographer under the Central Government; (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or. (ii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81,100) or equivalent in the parent cadre or department; and possessing the educational qualification and experience,- 12th class pass from a recognized Board; Skill Test Norms Dictation:10 mts @ 80 w.pm.

Transcription: 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On Computer)

Note 1: the departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition	**Circumstances** in **which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**.
(**12**)	(**13**)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consideration promotion) Consisting of:- 1. Director General of Training: Chairman; 2. Director, Central field Institute, Director General of Training. : Member; 3. Deputy Secretary or Director (administration), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship : Member; 4. Deputy Secretary or Director (administration), Diector General of Training : Member; G**roup 'B' Departmental Confirmation Committee (for consideration Confirmation) Consisting of:-** 1. Director General of Training: Chairman; 2. Director, Central field Institute, Director General of Training: Member; 3. Deputy Secretary or Director (administration), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship: Member; 4. Deputy Secretary or Director (administration), Director General of Training: Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[No.: DGT-A-12018/6/2019/TA-I (E-26882)]

ISHWAR SINGH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.01 16:24:58 +05'30'